मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 1991 (फाल्गुन 24, 1912)
समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

पंडित अयोध्या प्रसाद शर्मा, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिए जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड का वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे पटल पर रखेंगे ।

4. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर में बीड़ी श्रमिकों को पर्याप्त एवं गुणवत्ता की पत्ती न मिलने की ओर राज्य मंत्री, श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामानन्द सिंह/जगदम्बा प्रसाद निगम /आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल स्थित अम्बेडकर नगर के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा/चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर जिले के गरियाबंद, मैनपुर एवं नगरी के जंगलों में शेरनी का आतंक होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) चौधरी राकेश सिंह/श्री हरीसिंह नरवरिया/डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के जिला अधिकारियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री गजराज सिंह/डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर स्थित रायरू डिस्टिलर्स के प्रदूषण से बीमारियां फैलने की ओर राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, भोपाल के जिंसी चौराहे पर पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पात मचाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री अनूप मिश्रा/आरिफ अकील, सदस्य राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ कस्बे में दंगे से हुई क्षति की ओर गृह मंत्री, का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती जयश्री बनर्जी, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन पटल पर रखेंगी.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यनारायण केशरवानी, सदस्यः-

जिला रायपुर के ग्राम छेरकापुर (जनपद पलारी) में हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में 34 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य :-

(क) जिला दुर्ग, के ग्राम नेवारी खुर्द एवं जगतरा में मनोरंजन गृह (सांस्कृति भवन) बनाये जाने के संबंध में 58 व्यक्तियों की,

(ख) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम जगतरा के कमजोर वर्गों के लोगो को घरेलु विद्युत लाईन प्रदाय किये जाने के संबंध में 20 व्यक्तियों की,

(ग) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम मनोद की प्राथमिक शाला हेतु अतिरिक्त कमरों के निर्माण कराये जाने के संबंध में 32 व्यक्तियों की,

(घ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम जगतरा में बांध बनाकर सिंचाई हेतु विद्युत पम्प लगाये जाने एवं तीन नलकूप खनन किये जाने के संबंध में 40 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम खैरवाही एवं नेवरी खुर्द में नलकूप खनन किये जाने के संबंध में 50 व्यक्तियों की,

(च) जिला दुर्ग, विकास खण्ड नेवारी खुर्द के काडा योजना को पूर्ण किये जाने एवं फर्शी का कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में 39 व्यक्तियों की,

(छ) जिला दुर्ग ,विकास खण्ड बालोद के ग्राम तरौद से मनोद के बीच कच्चे मार्ग में गिट्टीकरण किये जाने के संबंध में 30 व्यक्तियों की,

(ज) जिला दुर्ग, तहसील बालोद में सांस्कृति भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में 31 व्यक्तियों की,

(झ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड धौराभाठा में खेल मैदान निर्माण कराये जाने एवं मनोरंजन भवन निर्माण के संबंध में 26 व्यक्तियों की,

(ट) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम मुल्लेगुड़ा को विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में 26 व्यक्तियों की,
याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्यः-

जिला रायगढ़, तहसील रायगढ़ के ग्राम नन्देली से पेन्डरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में 117 व्यक्तियों की,
याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री रामानन्द सिंह, सदस्यः-

जिला सतना के ग्राम पंचायत नकेला के अन्तर्गत ग्रामों में प्राथमिक शालाऐं प्रारंभ कराये जाने के संबंध में 45 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री गंगूराम बघेल, सदस्यः-

जिला रायपुर के आंरग विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में 44 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(6) डा. गोविन्द सिंह, सदस्यः-

जिला भिण्ड के कस्बा दबोह में प्रसूति गृह खोले जाने के संबंध में 12 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

7. शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, दिनांक 1 अगस्त, 1990 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (क्रमांक-3341) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.